न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – बिन्दू बाला राजावत, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 137 / 2023

दायर दिनांक :– 19 / 10 / 2023

निर्णय दिनांक :– 30 / 4 / 2026

अनवान

1. इंसाफ पिता फकरूदीन फकीर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. फारूक पिता नानु स्याह फकीर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. युनस मो. पिता मोहम्मद स्याह निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. मुंशी पिता फकरू स्याह फकीर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. वफात स्याह पिता इस्माईल फकीर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. अफजल पिता शोकत फकीर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. रफीक मो. पिता रज्जाक मो. निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. मुख्तियार मो. पिता दाउद मो. निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. अयुब पिता इस्माईल फकीर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. शराफत पिता इस्माईल फकीर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
11. रूस्तम मो. पिता शोकत फकीर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
12. हनीफ मो. पिता शोकत फकीर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
13. कालु मो. पिता अकबर फकीर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
14. मोहम्मद अली पिता इमामअली निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
15. बाबु पिता शकुर फकीर निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
16. स्थान पीरबावजी स्थान देह कुरज तह. रेलमगरा के जरिये वास्तविक उपासक स्याह परिवार एवं अद्योहस्ताक्षरकर्ता

प्रार्थीगण

बनाम

1. लाल मो. पिता शफी मो. रंगरेज निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. पिन्टू पिता लाल मो. रंगरेज निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. सराफत पिता जिगरूदीन रंगरेज निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. रजाक पिता नानूदीन रंगरेज निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. निजामुदीन पिता अब्दुल रंगरेज निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. मुबारिक पिता फकरूदीन रंगरेज निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. आजाद मो. पिता नानूदीन रंगरेज निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. नानूदीन पिता भूरा रंगरेज निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. यूसब मो. पिता छोटू मो. रंगरेज निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

10. मोहम्मद हूसैन पिता मांगूदीन कांकरोली निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
11. शब्बीर पिता शफीखां सिंधी निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
12. अजीजखां पिता फकरूखां सिंधी निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
13. शोकत पिता शफीखां सिंधी निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
14. रूस्तम मीर पिता नूर मो. निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
15. अन्य समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्त्ता, हजरत पीर शाह निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 जा.दी.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 जा.दी. के प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया के पीरबावजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। आराजी संख्या 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3408, 3409, 3410, 3412, 3413, 3414 3415, 3416, 3417, 5767/3402 कुल खसरे 25 क्षैत्रफल 2.8812 हेक्टेयर है वास्तविक उपासक प्रार्थीगण है जो ग्राम कुरज में स्थित हैं उक्त वर्णित आराजी भूमि सम्बन्धी अप्रार्थीगण द्वारा एक वाद पत्र व प्रर्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1–2 एवं धारा 151 जा. दी. का माननीय आप न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय, रेलमगरा में प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नम्बर 156/2022 रे. वाद व 113/22 रे. प्रार्थना पत्र बअनवान पीरबावजी बनाम मुबारिक स्याह वगैरह होकर लंबित एवं विचाराधीन है, जिसकी पेशी आज दिनांक 19/10/2023 बाबत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. नियम हैं। उक्त अनवान के मामले में माननीय आप न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय, रेलमगरा द्वारा दिनांक 26/12/2022 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा उभय पक्षों को पाबंद फरमाया गया कि ग्राम कुरज कि उक्त वादग्रस्त भूमि कि मौके की वर्तमान स्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखे तथा उभयपक्षों को पाबन्ध फरमाया कि वे वाद ग्रस्त उक्त भूमियों कि वर्तमान मौके कि स्थिति बनाये रखें। साथ ही तहसीलदार रेलमगरा को मौका स्थिति कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जो रिपोर्ट आज दिन तक पेश नही हुई। उक्त वर्णित आराजी भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा कई वर्षो से यानि 100 वर्षो से भी अधिक समय से यानि कदीम से चला आ रहा है तथा इनका व इनके पुर्वाधिकारियों का नाम राजस्व अभिलेख में भी दर्ज चला आ रहा था,जो गलत रूपेण बहैसियत सरवराकार दर्ज चला आ रहा था,जिससे राज्य सरकार के आदेशानुसार सरवाकार के नाम से इन्द्राज हटा कर केवल मात्र स्थान पीर बावजी स्थान देह दर्ज रेकर्ड हो गया जबकि उक्त भूमि के कई हिस्सों पर पक्के मकाननत बने होकर उन मकानात में स्थान पीर बावजी स्थान देह के वास्तविक उपासक प्रार्थीगण निवासरत है तथा व्यवसायरत हैं। स्थान पीर बावजी स्थान देह के वास्तविक उपासक प्रार्थीगण शाह, समाज के समाजजन होकर अल्पसंख्यक है और बावजी इनका ही उपासना स्थल हैं।विपक्षीगण यहा पर बाद में आकर बसे है तथा ये लोग रंगरेज नीलगर होकर बहुसंख्यक है, वह भी प्रार्थीगण के पुर्वजों द्वारा ही मूल रूप से बनाया गया है और जो पीरबावजी का स्थान है वह जगह प्रार्थीगण के पुर्वजों ने अपनी ही जमीनों में से दी हैं। प्रार्थीगण कि जाति फकीर होने

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

से उनका नाम सरबराकार गलत दर्ज कर दिया गया हैजबकि उक्त भूमि प्रार्थीगण की मिलकियत एवं बुजियत की आराजीयात हैं। उक्तांकित वाद पत्र में जिन आराजीयात का वर्णन किया गया वह आराजीयात ग्राम कुरज में अवश्य है, परन्तु उन आराजीयात से विपक्षीगण का कोई सम्बन्ध नही है बल्कि इन आराजीयात का प्रार्थीगण शुरू से ही खातेदार काश्तकार चले आ रहे है व विपक्षीगण को यह दावा लाने का भी किसी प्रकार का कोई अधिकार इन आराजीयात के सम्बन्ध में नही हैं। उस सम्बन्ध में पूर्व में भी इसी वाद विष्य को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद न्यायालय असिस्टेन्ट कलक्र महोदय नाथद्वारा व राजसमन्द में लम्बित खारिज हो गये हैं। ऐसे सारवान तथ्यों को छिपा कर उक्त दावा किया जो पोषणीय नही होकर आर्ड बाय लॉ होने से रिजेक्ट होने योग्य हैं। कलम संख्या 3 में वर्णित अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश आज भी प्रभावी है परन्तु विपक्षीगण स्वयं ने न्यायालय से स्टे प्राप्त किया और स्वयं ही उसका पालन नही कर मौके पर जोर शोर से कार्य कर रहे हैं। साथ ही जो परम्परागत पहले कभी नही हुआ ऐसा कार्य करने की तैयारी कर रहे हैं। वर्णित आराजीयात पर स्अे है तो उभय पक्ष की जिम्मेदारी भी है कि मौके पर कोई भीह नवीन कार्य नही हो और मौके की यथसिंिति बनी रहे परन्तु विपक्षीगण बहुसंख्यक होकर जबरन उक्त परिसर में उर्स मनाना चाह रहे है और मौके पर इनके समाज को इकटठा कर प्रार्थीगण को डराना ध्मकाना चाह रहे है और अपनी ताकत बताना चाह रहे है जिससे मौके पर गंभीर वारदात होने की संभावना है और माहोल बिगडने की संभावना भी हैं। अप्रार्थीगण मौके पर दंगे के हालात बनाना चाह रहे है जो कि गैर कानूनी हैऔर ऐसे हालात में इन्हें मौके पर किसी भी निर्माण कार्य करने और त्यौहार उत्सव आदि मनाने की छूट व आज्ञा नही दी जा सकती हैं। ये लोग इतनी नीचता पर भी उतर आऐ है कि उक्त दरगाह के पास ही कदीम से स्थित प्रार्थीगण के कब्रिस्तान के भाग को नीचा कर दरगाह के भाग को उठा कर सारा बरसाती व अन्य गंदा पानी कब्रिस्तान में भर जाए ऐसा कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इन लोगों ने कब्रिस्तान के परिसर में मूत्र विसर्जन कर इस पवित्र स्थान को अपवित्र बनाने का आपराधिक कृत्य भी किया है और लगातार कर रहे हैं। साथ ही उक्त तरह के निर्माण और उर्स आदि के द्वारा लोगों को इकटठा कर उक्त प्रकार के गंदे कुतिव प्रयास सामुहिक रूप में कर प्रार्थीगण की धर्मिक भावनाओं को ठेस पहूचाने का कार्य कर रहे है और पहुचाना चाह रहे है जिससे भी इन्हे यानि अप्रार्थीगण जो कि मौके पर दंगे के हालात बनाना चाह रहे है जो कि गैर कानूनी है ऐसे हालात में मौके पर किसी भी निर्माण कार्य को करने और त्यौहार उत्सव उर्स आदि मनाने की छूट व आज्ञा नही दी जा सकती हैं। अप्रार्थीगण आप न्यायालय के आदेश की पालना नही कर वादग्रस्त भूमि में निर्माण कार्य लगातार कर रहे है जिन्हें उक्त प्रार्थीगण ने निर्माण कार्य करने के लिये मना किया तो भी उक्त अप्रार्थीगण नही मान रहे है और उल्टे हम उक्त प्रार्थीगण को ऐलानिया मरने मारने की ध्मकिया दे रहे है और कहते फिर रहे है कि कोई हमारा कोई कुछ नही बिगाड सकता है यहा हमारी मर्जी ही चलेगी तुमको तो हम देख लेगे तुम्हारे हाथ पांव तोड के घर बिठा देगे ऐसी ध्मकिया दे रहे हैं।अप्रार्थीगण विवाद ग्रस्त भूमि पर जोरो शोरो से निर्माण कार्य कर रहे है और विवाद ग्रस्त भूमि पर हम सलाह होकर मौके कि फिराक में बेठे है हिक मौके पर दंगे हो जाऐं और मौके पर इनके समाज को इकटठा कर उक्त प्रार्थीगण को डराया धमकाया जावे और अपनी ताकत बता मौके पर गंभीर वारदात हो जाए और माहोल बिगडे जो कि उक्त अप्रार्थीगण का यह अवैध कृत्य होकर रोके और पाबंदित किए जाने योग्य कृत्य हैं। उक्त अप्रार्थीगण के खिलाफ कार्यवाही करके उनको जरिये पुलिस इमदाद पाबन्द

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा

किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है अन्यथा अल्पसंख्यक समुदाय यानि प्रार्थीगण को भारी अपरिहार्य क्षति होगी और परस्पर लडाई झगडे व शांतिभंग की संभावना हो गई है और मौके पर मरने मारने की स्थिति हैं।प्रार्थीगण को पूरा अन्देशा हो गया है कि ये लोग कभी भी संगीन घटना को अन्जाम दे सकते हैं। प्रार्थीगण का उक्त कृत्य उक्त प्रार्थीगण हम अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मृत्यू और घौर उपहति के भय में डालकर उद्दापन करने वाला है जिससे उक्त अप्रार्थीगण को पाबंद कराया जाकर प्रार्थीगण की जान माल की सुरक्षा जरिये पुलिस इमदाद कराया जाना आवश्यक हो गया हैं। इन उक्त अप्रार्थीगण ने नाजायज गिरोह बना रखा है इसलिए इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही फरमा इन्हे पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया हैं। न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना कराना आप न्यायालय के वश में है और जिस हेतु आप माननीय न्यायालय किसी भी तरह का आदेश करने हेतु सक्षम है ताकि न्याय की अंतिमता को प्राप्त किया जा सके और न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग को रोका जा सके। न्यायालय के आदेश के बावजूद कोई अवैध कृत्य होना संभावित है तो आप न्यायालय द्वारा अपनी अन्तर्निहित ाक्तियों का प्रयोग कर प्रशासन को पुलिस प्रशासन को व अन्य किसी को भी अपने आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु आदेश पारित फरमाया जाना आवश्यक हो गया हैं। ये लोग विवादित परिसर पर कोई उर्स मनाने को आतुर हो रहे है जो परम्परागत नही है और अभी नवम्बर माह में बडा उत्सव मनाने को आतुर हो रहे है जिस हेतु बडी संख्या में लोग इक्टठे हो रहे है और परिसर में घुस कर डेरा जमाने को आतुर हो रहे है और मौके पर चारों औश्र घुमते रहते है प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं। विवादित क्षैत्र में निर्माण कार्य बावजूद स्टे किया जाता है तो पुनः विवादित क्षैत्र की पूर्व स्थिति को नही पाया जा सकेगा अतः ऐसी स्थिति में यथास्थिति का आदेश की पालना कराया जाना नितांत आवश्यक हो गया हैं। पिपक्षीगण जोर शोर से कार्य करना चाह रहे है और अभी मौके पर निर्माण कार्य करने हेतु जमावडा कर रहे है साथ ही विपक्षीगण द्वारा विवादित क्षैत्र को नुकसान पहुचने का अंदेशा हो गया है और विपक्षीगण अपने मनसूबो में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण नॉन सूट हो जायेंगे चूंकि विपक्षीगण लगातार निर्माण कार्य करने को आतुर हो रहे है और यदि इसी तरह करते जायेंगे तो गुणावगुण हेतु प्रकरण में कुछ बचेगा ही नही ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्दित करवाया जाकर आदेश दिनांक 22/03/2023 की पालना सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक हो गया हैं। विवादित क्षैत्र में विपक्षीगण द्वारा निर्माण कार्य का प्रयास अनवरत किया जा रहा है और जो इसी तरह किया जाता रहा तो लोगों का न्याय से विश्वास ही समाप्त हो जायेगा और वाद की विषय वस्तु ही नष्ट प्रायः हो जायेगी और अन्तत्वोगत्वा यदि प्रकरण में प्रार्थीगण को सफलता मिल जाती है तो पुनः जगह का प्रत्यारोहण (Reinstalation) नही किया जा सकेगाा और जिस की पूर्ति अर्थ में सम्भव नही हो सकेगी और प्रार्थीगण को अपुरणीय क्षति होगी। अभी दिनांक 15/10/2023 को भी विपक्षीगण निर्माण कार्य करने को पहुंचे और वाद चल रहा है, स्टे है कहा तो नही मान रहें है उल्टे धमकियां दे रहे है और मौके व रेकर्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर उद्यत हो रहे हैं। जब तक मूल प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण नही हो जाता तब तक विपक्षीगण विवादित क्षैत्र में प्रवेश नही करे और न उक्त विवादित भूखण्ड को किसी को विक्रय अन्तरण ही करें। इस बाबत पुलिस इमदाद से मौके की यथावत स्थिति सुनिश्चित फरमायी जावें। ये लोग आदेश की अवहेलना करने को आतुर हो रहे है जिसे रूकवाया जाना व आदेश की पालना कराया जाना आवश्यक हो गया है विपक्षीगण ने

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मौके पर खौफ का माहोल बना रखा हैं। प्रार्थना पत्र की मालियत 1000 रूपये कायम की जाकर निश्चित न्याय शुल्क 1 रूपये पर प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थना है कि आदेश बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा की पालना पुलिस इमदाद से सुनिश्चित फरमाई जाकर आदेशित किया जावें कि विपक्षीगण विवादित क्षैत्र में प्रवेश नही करे और न उक्त विवादित भूखण्ड कोई उर्स आदि ही मनाने की नई परम्परा चालू करें प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को जरिये पुलिस इमदाद ताफैसला प्रार्थना पत्र व वाद विवादित क्षैत्र में निर्माण कार्य करने से निवारित पाबन्दित फरमाया जावें। तथा यथावत स्थिति के आदेश की अक्षरक्षः पालना कराई जावें।

उभय पक्ष की बहस अन्तिम सुनी गयी प्रार्थना पत्र 151 सी पी सी के तहत प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा की पालना पुलिस के जरिये किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया न्यायालय के आदेश दिनांक 26/12/22 का अवलोकन किया गया जिसमें मौके की स्थिति की दिनांक 26/12/22 को बनाये रखने बाबत आदेश प्रदान किया गया तहसीलदार रेलमगरा से मौके की रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया तहसीलदार रेलमगरा के द्वारा क्या पालना रिपोर्ट पेश कि गयी इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही की गयी, अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब को पुनः बहस के दोहराया गया व पीरबावजी स्थान देह को सरबराकार नाम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हडपना चाहते है प्रार्थीगण पीरबावजी के उर्स को कई वर्षो से मानाते चल आ रहे है उर्स में व्यवधान कारित किया जाना बताया गया। न्यायालय के विनम्र मत के अनुसार प्रार्थीगण को वैकल्पिक उपचार प्राप्त है उन उपचारो के अनुसार कार्यवाही न कर 151 सी पी सी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 30/4/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा